



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 469]  
No. 469]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 2008/चैत्र 20, 1930  
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 9, 2008/CHAITRA 20, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2008

का.आ. 834(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची की क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन	राज्य सरकार का नाम
(1)	(2)	(3)
"7	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 (रा. रा. सं. 6 पर सूरत के निकट जंक्शन से प्रारंभ होकर और हजीरा पर समाप्त होने वाले राजमार्ग सहित), सं. 15 (समाख्याली से राधानपुर खंड को छोड़कर) और सं. 59 तथा सं. 113 गुजरात राज्य के भीतर स्थित भाग और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8क [183.500 कि. मी. से 362.160 कि. मी. तक (गांधीधाम से समाख्याली से बामनबोर खंड) को छोड़कर] सं. 8ग, सं. 8ख और सं. 228 ।	गुजरात राज्य सरकार।"

[फा. सं. एनएच-14013/2/2008-पी एंड एम]

प्रभाकर, उप सचिव

पाद टिप्पण :— मूल अधिसूचना, भारत सरकार के राजपत्र में सं. का. आ. 1096(अ) तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई और अंतिम संशोधन का. आ. 248(अ), तारीख 5 फरवरी, 2008 द्वारा किया गया था ।

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th April, 2008

**S.O. 834(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to the said notification, for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—

Serial Number	Description of National Highway	Name of the State Government
(1)	(2)	(3)
"7	So much of National Highways No. 6 (including the Highways starting from its junction near Surat on NH 6 and terminating at Hajira), No. 15 [excluding the Section Samakhya to Radhanpur] and No. 59 and No. 113 as are situated within the State of Gujarat and National Highways No. 8A [excluding from Km. 183.500 to Km. 362.160 (Section from Gandhidham to Samakhya to Bamanbore)], No. 8C, No. 8D, No. 8E and No. 228.	State Government of Gujarat."

[F. No. NH-14013/2/2008-P&M]  
PRABHAKAR, Dy. Secy.

**Foot Note:—** The Principal notification was published in the Gazette of India vide number S. O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S. O. 248(E), dated 5th February, 2008.